बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– DoH/SS/08/2025 –पी॰पी॰एम॰ – 201 – /कृ०, पटना, दिनांक– 18.02 ,2026

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : **चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत् वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2027–28 तक कुल तीन वर्षों के लिए राज्य स्कीम मद से कृषि विभाग की पहल "गाँव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी" के तहत् उद्यानिक फसलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने हेतु ''क्लस्टर में बागवानी'' की योजना हेतु कुल 1480.00 लाख (चौदह करोड़ अस्सी लाख) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में 65.00 लाख (पैंसठ लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत् वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2027–28 तक कुल तीन वर्षो के लिए राज्य स्कीम मद से कृषि विभाग की पहल "गाँव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी" के तहत् उद्यानिक फसलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने हेतु ''क्लस्टर में बागवानी'' की योज़ना हेतु कुल 1480.00 लाख (चौदह करोड़ अस्सी लाख) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में 65.00 लाख (पैंसठ लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का सूत्रण बागवानी फसलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने हेतु किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उच्च तकनीक बागवानी को बढ़ावा देना तथा कृषकों की आय में वृद्धि करना है। इससे पूरे वर्ष उद्यानिक फसलों के उत्पादन, गुणवत्ता एवं उत्पादकता मे वृद्धि, ग्रामीण बेरोजगार पुरूष एवं महिलाओं के बीच स्वरोजगार का सृजन तथा बाजार में उद्यमियों के माँग के अनुरूप फल, फूल एवं सब्जियों का उत्पादन एवं तद्नुरूप उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगा।

3. इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी 38 जिलों में किया जायेगा। वार्षिक कार्य योजना संबंधित विवरणी अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

4. इस योजना अन्तर्गत कृषक विभिन्न फसलों के पौध सामग्री का क्रय कृषि विश्वविद्यालय अधीनस्थ नर्सरी/ विभागीय नर्सरी/जिला उद्यान पदाधिकारी एवं संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक के सलाह से वैसे मान्यता प्राप्त नर्सरी या कंपनी से करेंगें, जो गुणवत्ता वाले पौध रोपण सामग्री का उत्पादन करते हैं।

D:\YOJNA 2025-26\ASO2(Gaurav)\Sanction Order (Cluster) (65.00).doc

5. योजना अन्तर्गत क्लस्टर निर्माण हेतु चयनित फसल यथा–अमरूद, नींबू, एप्पल बेर, बेल, कटहल, पपीता, आंवला, अनार एवं सुगंधित पौधा (तुलसी, लेमनग्रास, पामारोजा एवं जावा सिट्रोनेला) हेतु अनुदान की राशि 1.00 लाख रूपये प्रति एकड़ एवं ड्रैगन फ्रूट हेतु अनुदान की राशि 2.00 लाख रूपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। इकाई लागत पर देय अनुदान की राशि में पौध सामग्री, खेत की तैयारी, खाद एवं पोषक तत्व, कीटनाशी, सिंचाई एवं घेराबंदी इत्यादि के साथ–साथ प्रारंभिक वर्षो में आर्थिक लाभ नहीं होने के फलस्वरूप सहयोग हेतु राशि भी समाहित है।

6. इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु केवल पपीता फसल का कार्यान्वयन क्लस्टर में किया जायेगा। शेष फसलों को आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 के जून–जुलाई माह में लगाया जायेगा।

7. इस योजना के अधीन चयनित फसल के क्लस्टर का निर्माण एक राजस्व गाँव में 25 एकड़ एवं ड्रैगन फ्रूट के लिए एक राजस्व गाँव मे 15 एकड़ या उससे अधिक के क्षेत्र में किया जाएगा।

8. इस योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) के लिए देय होगा।

9. इस योजना से लाभान्वित कृषक को कृषि विभाग के अन्य संचालित योजनाओं यथा–सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, परिवहन के लिए वाहन, संग्रहण, सॉर्टिंग एवं ग्रेडिंग की सुविधा, पैकेजिंग की सुविधा का लाभ नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा।

10. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा। योजना का लाभ लेने हेतु कृषकों का चयन **"पहले आओ पहले पाओ"** के आधार पर किया जायेगा।

11. डी.बी.टी. पोर्टल पर पंजीकृत कृषक के द्वारा http://horticulture.bihar.gov.in "योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करें" लिंक पर Click कर Dashboard पर उपलब्ध "क्लस्टर में बागवानी की योजना" "आवेदन करें" लिंक पर जाकर आवेदन किया जायेगा।

12. DBT कार्यक्रम के तहत् लाभुकों को अनुमान्य अनुदान की भुगतान दो विधि In cash transfer या In Kind Transfer में से किसी भी विधि से किया जा सकता है, बशर्त्ते कि लाभुक कृषकों का Biometric Authentication उनके आधार नम्बर के साथ हो।

13. चयनित फसल हेतु देय अनुदान की राशि दो किस्तों (65:35) में दिया जाएगा। प्रथम किस्त की राशि मे से क्रय किए गए पौध रोपण सामग्री का भुगतान अभिश्रव एवं कृषक के अनुशंसा तथा प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के सत्यापनोपरांत संबंधित आपूर्तिकर्ता को एवं शेष राशि का भुगतान कृषक को पौधा लगाने के उपरांत प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन पश्चात् अन्य कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में दिया जायेगा। द्वितीय किस्त की राशि 75 प्रतिशत पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा क्षेत्र सत्यापन पश्चात् नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 एवं 2027–28 में दिया जायेगा।

14. प्रत्येक क्लस्टर के लिए ए.टी.एम./बी.टी.एम. को संबंधित जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी के द्वारा नामित किया जायेगा, जो समय–समय पर प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के साथ जाकर क्लस्टर का भ्रमण एवं अनुश्रवण कर आवश्यक सुझाव किसान को देंगे एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे।

15. इस योजना का वित्तीय वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है, जिसके आलोक में योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

16. प्रावधानित बजट के आलोक में लाभुकों का चयन सामान्य क्षेणी में 78.537 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.463 प्रतिशत के अनुपात में किया जाना है, परन्तु इस योजना का कार्यान्वयन क्लस्टर में किया जायेगा। प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा।

17. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–3 के अनुसार संबंधित जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभागीय पत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन करते हुए संबंधित जिला के कोषागार से Form No. BTC-25 पर CFMS 2.0 के माध्यम से किया जायेगा।

18. इस योजनान्तर्गत कुल 23440 मानव दिवस सृजन होने की संभावना है।

19. योजना कार्यान्वयन के क्रम में स्वीकृत राशि के अधीन यथावश्यक संशोधन/अन्तर परिवर्त्तन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जा सकेगा।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली 2005 (यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना अंतर्गत व्यय किया जायेगा।

21. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक उद्यान, बिहार होंगे।

22. महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

23. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401001190101, विषय शीर्ष 0101.33.01 सब्सिडी	19084.490	51.04
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0130– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007890130, विषय शीर्ष 0130.33.01 सब्सिडी	4860.000	13.00
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0152– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007960152, विषय शीर्ष 0152.33.01 सब्सिडी	355.510	0.96
कुल योग	**24300.000**	**65.00**

24. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि० दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक–08.01.2026 को प्रधान सचिव, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है। वित्त विभाग का संकल्प संख्या–917 दिनांक–01.12.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक–06.02.2026 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में योजना प्रस्ताव पर अनुशंसा प्राप्त है। योजना के कार्यान्वयन प्रस्ताव एवं

स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–DoH/SS/08/2025 के पृ0सं0–81/टि० पर दिनांक–17.02.2026 को प्राप्त है।

25. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

26. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–DoH/SS/08/2025 के पृष्ठ संख्या–80/टि० दिनांक–12.02.2026 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–88 दिनांक–12.02.2026 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS/08/2025 – पी०पी०एम० – 201 – /कृ०, पटना, दिनांक – 18.02.2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS/08/2025 – पी०पी०एम० – 201 – /कृ०, पटना, दिनांक – 18.02.2026

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS/08/2025 – पी०पी०एम० – 201 – /कृ०, पटना, दिनांक – 18.02.2026

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS/08/2025 – पी०पी०एम० – 201 – /कृ०, पटना, दिनांक – 18.02.2026

प्रतिलिपि : संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS/08/2025 – पी०पी०एम० – 201 – /कृ०, पटना, दिनांक – 18.02.2026

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक, उद्यान/संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा, (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOJNA 2025-26\ASO2(Gaurav)\Sanction Order (Cluster) (65.00).doc

ज्ञापांक– DoH/SS/08/2025 – स॰स॰ए॰ - 201 - / कृ०, पटना, दिनांक - 18 - 02 ,2026

प्रतिलिपि : उप कृषि निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOJNA 2025-26\ASO2(Gaurav)\Sanction Order (Cluster) (65.00).doc

अनुसूची–1

वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2027–28 तक कुल तीन वर्षो के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत् राज्य स्कीम मद से कृषि विभाग की पहल "गाँव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी" के तहत् उद्यानिक फसलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने हेतु "क्लस्टर में बागवानी की कार्य योजना

(वित्तीय लाख रूपये में)

क्र०सं०	फसल का नाम	क्लस्टर का लक्ष्य	प्रति क्लस्टर रकवा (एकड़ में)	क्लस्टर का कुल रकवा (एकड़ में)	श्रेणीवार क्लस्टर का लक्ष्य			अनुदान प्रति एकड (65:35 के अनुपात में)	वित्तीय लक्ष्य				
					सामान्य वर्ग 78.537%	अनुसूचित जाति 20%	अनुसूचित जनजाति 1.463%		2025–26 (@65%)	1st Year Maintenance 2026–27 (35%)	2026–27 (@65%)	2027–28 (@35%)	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	अमरूद	19	25	475	46	12	1	1			308.75	166.25	475.00
2	नींबू	21	25	525				1			341.25	183.75	525.00
3	एप्पल बेर	3	25	75				1			48.75	26.25	75.00
4	बेल	1	25	25				1			16.25	8.75	25.00
5	कटहल	3	25	75				1			48.75	26.25	75.00
6	पपीता	4	25	100				1	65.00	35.00	0.00	0.00	100.00
7	आँवला	5	25	125				1			81.25	43.75	125.00
8	अनार	1	25	25				1			16.25	8.75	25.00
9	सुगंधित पौधा (तुलसी, लेमनग्रास, पामारोजा एवं जावा सिट्रोनेला)	1	25	25				1			16.25	8.75	25.00
10	ड्रैगन फ्रूट	1	15	15				2			19.50	10.50	30.00
कुल		**59**		**1465**	**46**	**12**	**1**		**65.00**	**35.00**	**897.00**	**483.00**	**1480.00**

उपेन्द्र कुमार

(अभिषेक कुमार)

358 330

अनुसूची – 2

वित्तीय 2025–26 से 2027–28 तक कुल तीन वर्षो के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत् राज्य स्कीम मद से कृषि विभाग की पहल "गाँव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी" के तहत् उद्यानिक फसलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने हेतु "क्लस्टर में बागवानी की योजना का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(राशि लाख रूपये

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	क्लस्टर का फसल	भौतिक लक्ष्य			अनुदान दर प्रति एकड़ (65:35 के अनुपात में)	वित्तीय लक्ष्य				
			क्लस्टर का लक्ष्य	प्रति क्लस्टर रकवा (एकड़ में)	क्लटस्र कुल रकवा (एकड़ में)		2025–26 (@65%)	1st Year Maintenance 2026–27 (35%)	2026–27 (@65%)	2027–28 (@35%)	कुल योग
1	जिला उद्यान पदाधिकारी, अररिया	नींबू	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
2	जिला उद्यान पदाधिकारी, अरवल	आँवला	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
3	जिला उद्यान पदाधिकारी, औरंगाबाद	एप्पल बेर	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
		नींबू	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
		ड्रैगन फ्रूट	1	15	15	2			19.50	10.50	30.00
4	जिला उद्यान पदाधिकारी, बाँका	अमरूद	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
		नींबू	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
5	जिला उद्यान पदाधिकारी, बेगुसराय	अमरूद	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
		पपीता	1	25	25	1	16.25	8.75	0.00	0.00	25.00
6	जिला उद्यान पदाधिकारी, भागलपुर	बेल	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
		आँवला	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
		कटहल	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
		अनार	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
7	जिला उद्यान पदाधिकारी, भोजपुर	अमरूद	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
8	जिला उद्यान पदाधिकारी, बक्सर	अमरूद	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
9	जिला उद्यान पदाधिकारी, दरभंगा	नींबू	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
10	जिला उद्यान पदाधिकारी, गया	नींबू	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
		अमरूद	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
11	जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज	नींबू	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
		अमरूद	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
12	जिला उद्यान पदाधिकारी, जमुई	अमरूद	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
		नींबू	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
13	जिला उद्यान पदाधिकारी, जहानाबाद	आँवला	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
14	जिला उद्यान पदाधिकारी, कैमूर	पपीता	1	25	25	1	16.25	8.75	0.00	0.00	25.00
15	जिला उद्यान पदाधिकारी, कटिहार	अमरूद	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
16	जिला उद्यान पदाधिकारी, खगड़िया	पपीता	1	25	25	1	16.25	8.75	0.00	0.00	25.00
17	जिला उद्यान पदाधिकारी, किशनगंज	अमरूद	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
18	जिला उद्यान पदाधिकारी, लखीसराय	नींबू	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
19	जिला उद्यान पदाधिकारी, मधुबनी	अमरूद	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
		नींबू	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00

उपेन्द्र कुमार (अभिषेक कुमार)

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	क्लस्टर का फसल	भौतिक लक्ष्य			अनुदान दर प्रति एकड़ (65:35 के अनुपात में)	वित्तीय लक्ष्य				
			क्लस्टर का लक्ष्य	प्रति क्लस्टर रकवा (एकड़ में)	क्लटस्र कुल रकवा (एकड़ में)		2025–26 (@65%)	1st Year Maintenance 2026–27 (35%)	2026–27 (@65%)	2027–28 (@35%)	कुल योग
20	जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर	नींबू	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
21	जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा	नींबू	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
22	जिला उद्यान पदाधिकारी, मुजफफरपुर	नींबू	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
		अमरूद	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
23	जिला उद्यान पदाधिकारी, नालंदा	अमरूद	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
		सुगंधित पौधा	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
24	जिला उद्यान पदाधिकारी, नवादा	अमरूद	2	25	50	1			32.50	17.50	50.00
25	जिला उद्यान पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण	कटहल	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
		अमरूद	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
26	जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना	नींबू	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
		पपीता	1	25	25	1	16.25	8.75	0.00	0.00	25.00
27	जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	नींबू	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
		अमरूद	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
28	जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णियाँ	कटहल	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
29	जिला उद्यान पदाधिकारी, रोहतास	एप्पल बेर	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
		अमरूद	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
		नींबू	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
30	जिला उद्यान पदाधिकारी, सहरसा	नींबू	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
31	जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर	नींबू	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
		अमरूद	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
32	जिला उद्यान पदाधिकारी, सारण	नींबू	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
33	जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा	एप्पल बेर	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
34	जिला उद्यान पदाधिकारी, शिवहर	नींबू	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
35	जिला उद्यान पदाधिकारी, सीतामढ़ी	अमरूद	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
36	जिला उद्यान पदाधिकारी, सीवान	आँवला	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
		नींबू	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
37	जिला उद्यान पदाधिकारी, सुपौल	नींबू	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
38	जिला उद्यान पदाधिकारी, वैशाली	आँवला	1	25	25	1			16.25	8.75	25.00
योग			59		1465		65.00	35.00	897.00	483.00	1,480

उपेन्द्र कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार,
पटना
(अभिषेक कुमार)

अनुसूची – 3

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत् राज्य स्कीम मद से कृषि विभाग की पहल "गाँव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी" के तहत् उद्यानिक फसलों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने हेतु "क्लस्टर में बागवानी की योजना का जिलावार एवं श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य।

(राशि लाख रूपये में)

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	वित्तीय लक्ष्य			
		सामान्य वर्ग (78.537%)	अनुसूचित जाति (20.00%)	अनुसूचित जनजाति (1.463%)	कुल योग
1	जिला उद्यान पदाधिकारी, बेगुसराय	12.76	3.25	0.24	16.25
2	जिला उद्यान पदाधिकारी, कैमूर	12.76	3.25	0.24	16.25
3	जिला उद्यान पदाधिकारी, खगड़िया	12.76	3.25	0.24	16.25
4	जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना	12.76	3.25	0.24	16.25
योग		**51.04**	**13.00**	**0.96**	**65.00**

उपेन्द्र कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार,
पटना
(अभिषेक कुमार)